पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अत्यावश्यक

प्रेषक,
.... जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818 / आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश / निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु ज़िला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन / जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (SEOC) दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौंपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य सहायता, तथा पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निदेश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :-

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीडी-सिगरेट पीकर इधर-उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें-क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015-2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक-1023 दिनांक-21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

10,000 — 10-07-18
2004 —

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपडी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक-2886 दि0-26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

(71)

ज्ञापांक – 1061/आ०प्र०   पटना–15, दिनाक– 8/3/16

प्रतिलिपिः अनुलग्नक की प्रति सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3
प्रधान सचिव

अनुलग्नक: [illegible]

आयुक्त कार्यालय,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक – 646/सचिव   दिनांक 15/03/16

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/16
आयुक्त के सचिव,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक 261/आ०प्र० दिनांक 27.4.16

प्रतिलिपि:- सभी अंचलाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी ([illegible]) मधेपुरा/[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडलाधिकारी मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/4/16
प्रभारी पदाधिकारी
आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा
27.4.16

\\PcS-pc\d\l PG-2) 2016\Fire 2016\Fire direction 2016.doc